

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जन्म पर अन्धकार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने है कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उपरोक्त विषय पर उचित पूर्व में यह अवसर हुआ है तो यह प्रमाण तब प्रस्तुत अवसर पर ही प्रस्तुत किया जाये।



जन्म : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2341400
(0751) 2442600
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2012/ 5893

दिनांक: 15/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सम्बद्ध संतवोमी मानसिंह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर (0751-6537611) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवाचित डी.एन. परामर्शन कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसूचार्थ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वाधी सभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(16) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुल्क, धरोहर प्रति, वांछित वैश्विक/अवैश्विक सॉफ्ट, प्राथमिक संस्था से प्राप्त अनुसूचित/अनुसूचित प्रमाण पत्र, भवन, झोडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आविर्जन तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/वैश्विक एवं अवैश्विक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसूचार्थ अर्पित करें।

स्थायी समिति की वेतन दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पत्र क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 15 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बदण्ड जमा करके नवीन समिति गठित की जायेगी। यदि 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शर्तों में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. तत्पश्चात् सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण निर्णय विचारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, गोंडाल
4. कुलपति के साथ : कुलसचिव को निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)